न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दुमका

नामान्तरण अपील वाद संख्या–22/19–20

नामान्तरण अपील वाद संख्या–23/19–20

नामान्तरण अपील वाद संख्या–02/2021–22(ऑनलाईन)

रामसेवक साह पिता–स्व0 हरनारायण साह, ग्राम–नोनी हथवारी, थाना–जामा, जिला–दुमका

वनाम

दिलीप साह पिता–स्व0 रामशंकर साह ग्राम–नोनी हथवारी, थाना–जामा, जिला–दुमका एवं अन्य मंजू देवी पति–स्व0 नन्दलाल साह एवं अन्य वनाम रामसेवक साह पिता–स्व0 हरनारायण साह ग्राम–नोनी हथवारी, थाना–जामा, जिला–दुमका एवं अन्य

आदेश की कम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3
	प्रस्तुत नामान्तरण अपील वाद स0–22/19–20 एवं 23/19–20 में क्रमशः रामसेवक साह पिता–स्व0 हरनारायण साह, ग्राम–नोनी हथवारी, थाना–जामा, जिला–दुमका के द्वारा दिलीप साह पिता–स्व0 रामशंकर साह ग्राम–नोनी हथवारी, थाना–जामा, जिला–दुमका एवं अन्य तथा मंजू देवी पति–स्व0 नन्दलाल साह एवं अन्य वनाम रामसेवक साह पिता–स्व0 हरनारायण साह ग्राम–नोनी हथवारी, थाना–जामा, जिला–दुमका एवं अन्य के विरूद्ध अंचल अधिकारी दुमका के नामान्तरण वाद सं0–307, दिनांक–05.12.2019 के विरुद्ध नामान्तरण अपील वाद दायर किया गया है। चूंकि दोनों वादों में प्रश्नगत भूमि एक ही है, अतः उक्त दोनों वादों को जोड दिया गया है। अपीलार्थी के द्वारा वर्णित किया गया है कि डंगाल पाड़ा हिजला रोड दुमका टाउन में उल्लेखित भूमि/सपत्ती के छः हिस्सेदार है। जिसमें चार भाई एवं अपने अंश का कुल पाँच अंश का भूमि/संपत्ति प्राप्त है। चार भाईयों ने पैसा लेकर अपने हक एवं हिस्से से जमीन मुझे बिक्री कर दिया है। जिसकी पावती उन्होंने संलग्न किया है। अपीलकर्ता के उन चार भाईयों के हिस्से की जमीन अपने नाम से नामान्तरण करने का अनुरोध किया गया है। अपील कर्ता के द्वारा अपने भाईयों से जमीन के बदले प्राप्त रूपए की पावती से यह स्पष्ट नहीं होता है कि उनके भाईयों द्वारा जमीन बिक्री कर दिया गया है। अपील कर्ता के द्वारा न्यायालय में दिनांक – 11.04.2014 का एकरारनामा–सह–विक्रय पत्र, दिनांक–11.04.2016 का आममुख्तारनामा की छायाप्रति स्वहस्ताक्षरित समर्पित किया है। उपरोक्त सभी दस्तावेज निबंधित नहीं है। विद्वान अधिवक्ता के बहस को सूना एवं अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। स्पष्ट है कि उक्त दोनों वाद मौजा–दुमका टाउन, थाना–दुमका नगर, जिला–दुमका के जमाबंदी नं0–30/24 दाग सं0–07, रकवा–05.01 डी0 एवं 04 कट्ठा 14 धूर से संबंधित है। चूँकि	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3
	अपीलार्थी अपने पक्ष में साक्ष्य के रुप में जो भी दस्तावेज समर्पित किए है, वे सभी दस्तावेज निबंधित नहीं है और उस प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर इस न्यायालय में निर्णय लिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रस्तुत वाद में The Registration Act 1908 में उल्लेखित प्रावधानों के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है। इसी समीक्षा के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। 28.07.2021 28.07.2021 भूमि सुधार उपसमाहर्ता दुमका। भूमि सुधार उपसमाहर्ता दुमका।	

Digitally signed by BINAY MANISH R LAKRA
Date: 2021.10.06 12:28:09 +05:30
Location: 192.168.1.112